To

The District Judge
Chitrakoot

Request 95

111
No 17802 / IV-2942 / Admin A dated 15-11-2011

Subject - Grant of three advance increments to Sri Subhash Chandra VI, Chief Judicial Magistrate Chitrakoot on qualification of Post Graduate in Law (LLM)

Sir,
With reference to your endorsement No 251/Est dated 07-3-2011 on the above subject, I am directed to say that necessary clarification / direction has been obtained from the Government of U.P vide Court's letter No 11914 / Admin A-I dated 07.10.09 and its subsequent reminders but reply of the Government is still awaited.

DR (P)
may kindly see the draft and issue
Asst. Registrar
18-10-2011
[signature]
18/10/11

Encl-

Yours faithfully
Maharani [signature]
9.11.11
Deputy Registrar

112
No 17803 / IV-2942 / Admin A dated 15-11-2011
Copy forwarded to Sri Subhash Chandra VI, Chief Judicial Magistrate, Chitrakoot for information

Maharani [signature]
9.11.11
Deputy Registrar

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र–षष्टम
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चित्रकूट।

सेवा में,

महानिबन्धक
मान्नीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा– जनपद न्यायाधीश
चित्रकूट।

विषयः विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग(शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में मान्नीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2002 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–1363/दो–4–2009–45(12)/91 टी.सी. नियुक्ति अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक मई 13, 2009 के अनुसार मान्नीय राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है। मैंने वर्ष 1988 में विधि में स्नातकोत्तर उपाधि मेरठ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। उक्त शासनादेश एवं विधि स्नातकोत्तर उपाधि प्रमाण पत्र संलग्न है।

इस सम्बन्ध में पृष्ठांकन पत्र संख्या–836/प्रथम/प्रशा0अनु0/चित्रकूटः दिनांक 11.08.2010 द्वारा अग्रिम तीन वेतन वृद्धियां स्वीकृति हेतु मेरे द्वारा याचना की गयी थी, परन्तु अभी तक प्रार्थित वेतन वृद्धियां स्वीकृत नहीं हो सकी। पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि पूर्व प्रार्थित तीन वेतन वृद्धियां स्वीकृत कराने की कृपा करें एवं तत्सम्बन्धी स्वीकृत आदेश निर्गत कराने की कृपा करें।

सादर,

संलग्नक–
1– शासनादेश दिनांकित 13 मई 2009
2– स्नातकोत्तर उपाधि वर्ष 1988 की प्रमाणित छाया प्रति।
3– पूर्व प्रेषित पत्र दि0 11.08.2010 की छाया प्रति।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र–षष्टम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चित्रकूट।

कार्यालय–जिला न्यायाधीश, चित्रकूट

पत्रांकः 251/प्रथम/प्रशा0 अनु/चित्रकूट/दि0: ~~फरवरी~~ मार्च 07, 2011
अग्रसारित

जिला न्यायाधीश
चित्रकूट।

प्रेषक:-

सुभाष चन्द-VI
सिविल जज [वरिष्ठ खण्ड],
चित्रकूट ।

Request 95

7/1

सेवा में,

श्रीमान् महा-निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
चित्रकूट ।

विषय:- विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बंध में ।

आदरणीय महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग [शेट्टी कमीशन] द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2002 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान किये जाने के सम्बंध में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-1363/दो-4-2009-45[12]/91 टीसी नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: मई 13, 2009 के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है । मैंने वर्ष 1988 में विधि में स्नातकोत्तर उपाधि मेरठ विश्व विद्यालय से उत्तीर्ण की थी ।

अतः माननीय महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।

ससम्मान ।

भवदीय
10/08/09
[सुभाष चन्द-VI]
सिविल जज [वरिष्ठ खण्ड],
चित्रकूट ।

दिनांक:-10.08.2009

संलग्नक:-

स्नातकोत्तर उपाधि वर्ष 1988 की प्रमाणित छायाप्रति व शासनादेश दिनांकित 13 मई, 2009 की प्रमाणित छायाप्रति ।

कार्यालय-जिला न्यायाधीश, चित्रकूट

पत्र संख्या-836 /प्रशा/प्रा.अनु./चित्रकूट/दिनांक:अगस्त 11 ,2009

अग्रसारित

जिला न्यायाधीश,

Request/95

अनुक्रमांक L 55200
Roll No.

T/2

मेरठ विश्वविद्यालय

MEERUT UNIVERSITY

विधि निष्णात

(Master of Laws)

प्रमाणित किया जाता है कि सुभाषचन्द

ने इस विश्वविद्यालय से १९८८ की परीक्षा में **विधि निष्णात** की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की ।

This is to certify that Subhash Chand

obtained the Degree of **MASTER OF LAWS** of this University in the Examination of 1988 and that he/she was placed in the Second Division.

MEERUT UNIVERSITY.
30.6.1989

[illegible]

कुलपति—*Vice-Chancellor*

संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टीसी

Secy Committee Send it to Bill clerk for compliance

DISTRICT JUDGE
MUZAFFARNAGAR
22.05.09

713

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 13 मई, 2009

विषयः-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

Secy Send to bills clerk
23/5/09

......2

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:31:49 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad